न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, केम्प टोंक

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :–एलआर/ 31/16 टोंक (2016/00054)

रामा पुत्र रामनाथ जाति खाती निवासी साड़ागांव तहसील व जिला टोंक।

अपीलांट्स

बनाम

1. विनोद पुत्र कालू
2. अनिता पुत्री कालू
3. रूकमणी पत्नी कालू
4. नीतू पुत्री कालू नाबालिग जरिये माता रूकमणी पत्नी कालू
   समस्त जाति खाती निवासी साड़ागांव तहसील व जिला टोंक
5. सांवरमल पुत्र कमलेश
6. किशनलाल पुत्र कमलेश
7. गिरिजा पुत्री कमलेश
8. मन्नी देवी पत्नी कमलेश
   समस्त जाति खाती निवासी साड़ागांव तहसील व जिला टोंक
9. तहसीलदार टोंक
10. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया शाखा टोंक, जरिये शाखा प्रबन्धक

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 330 निर्णय तहसीलदार टोंक, दिनांक 27.12.2002.

उपस्थितः–

1. श्री जे.के. जैन अपीलान्ट अभिभाषक
2. रेस्पोडेन्ट अभिभाषक अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः–20.02.2020

अपीलांट्स ने यह अपील तहसीलदार टोंक द्धारा पारित निर्णय दिनांक 27.12.2002 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खसरा संख्या 49 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा की खातेदारी के अंकन में रामावतार, कन्हैयालाल, पिसरान जगदीश, नौरती, ममता, सन्तोक, पुत्रियां जगदीश, मुस0 कैलाशी बेवा जगदीश, हिस्सा 1/3 गोपी, रामा पिसरान रामनाथ हिस्सा 2/3 के नाम थे। उपरोक्त वर्णित खातेदारी में से दिनांक 12.08.2002 को खातेदार रामावतार, कन्हैयालाल पिसरान जगदीश, नौरती, ममता, सन्तोक, पुत्रियां जगदीश, मुस0 कैलाशी बेवा जगदीश, हिस्सा 1/4 गोपी पुत्र रामनाथ जाति खाती निवासी साड़ागांव ने कालू व कमलेश पिसरान गोपाल को जरिये रजि0 विक्रय पत्र बैचान किया जिसमे स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया कि रामा को छोड़कर हम विक्रेतागण ने आराजी खसरा संख्या 49 को विक्रेतागण के हिस्सा 2/3 को कालू,कमलेश,पिसरान गोपाल खाती निवासी साडागांव को विक्रय कर दी। अपीलान्ट ने अपना हिस्सा कभी भी बेचान नही किया तथा कभी भी विक्रय पत्र तहरीर पंजीयन नही करवाया परन्तु कालू पुत्र गोपाल, कमलेश पुत्र गोपाल के पक्ष में खसरा संख्या 49 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा सम्पूर्ण रकबे का नामान्तरकरण संख्या 330 उनके हक मे स्वीकृत कर दिया जो हिस्सा 1/3 की हद तक अपीलान्ट के हितों पर प्रारम्भतः ही अकृत/शून्य है तथा गलत रूप से तस्दीक किये गये नामान्तरकरण के आधार पर कालू व कमलेश के नाम सम्पूर्ण खातेदारी दर्ज कर दी उन दोनों का देहान्त हो चुका है इस कारण रेस्पोडेन्ट सख्या 1 लगातार 4 कालू के वारिसान के नाम व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगातार 8 कमलेश के वारिसान के नाम खातेदारी अंकित कर दी जो गलत है। अतः अपीलांट के 1/3 हिस्से की हद तक प्रारम्भतः तक शून्य होने के कारण उक्त नामान्तरकरण अपीलांट के 1/3 हिस्से की हद तक निरस्त किया जावे एंव अपीलान्ट के नाम जमाबन्दी में 1/3 हिस्से की खातेदारी का अंकन किया जावे । xx

2- अपील Subject to limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये बाद नोटिस तामिल बाबजूद रेस्पोडेन्ट/रेस्पोडेन्ट अभिभाषक अनुपस्थित रहे । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- सर्वप्रथम मूल अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व क्लेरिकल त्रुटि दूर करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का निर्णय करना उचित समझते हैं । अतः प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई ।

4- विद्धान अपीलांट अभिभाषक ने मूल अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट लगातार अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है ओर काश्त कर रहा है वह अनपढ तथा ग्रामीण व अत्यंत वृद्ध काश्तकार व्यक्ति है जिसको तथाकथित नामान्तरकरण की पूर्व में जानकारी नहीं थी परन्तु एक माह पहले रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट से अनावश्यक विवाद करने के कारण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर नकल के लिए आवेदन पेश किया और सलाह लेकर बिना किसी देरी के यह अपील पेश की अतः अपील में विलम्ब सद्भाविक है अतः विलम्ब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे । xx

5- हमने विद्धान अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन एंव बहस पर मनन किया । अपीलांट ने विलम्ब के जो कारण अंकित किये हैं वे उचित एंव सद्भाविक प्रतीत होते हैं । मियाद के बिन्दु पर प्रकरण का अंतिम रूप से विनिश्चय नहीं किया जा सकता हम गुणावगुण के आधार पर अपीलांट को सुना जाकर प्रकरण का विनिश्चिय करना उचित समझते हैं। अतः अपील में हुआ विलम्ब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। xx

6- विद्धान अपीलांट अभिभाषक दिनांक 20.02.2020 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर क्लेरिकल त्रुटि को दुरस्त करने का निवेदन करते हुए बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा उनवादी प्रकरण में नामान्तरकरण संख्या 330 निर्णय तहसीलदार टोंक दिनांक 27.12.2002 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत गई थी परन्तु टंकण की सद्भावी त्रुटि सहवन से नामान्तरकरण संख्या 330 निर्णय दिनांक 27.02.2012 अंकित किया गया इस प्रकार की त्रुटि संशोधित किया जावे। विद्धान अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव बहस पर गंभीरता से मनन करते हुए हम अपील में क्लेरिकल त्रुटि को सहवन से होना समझते है अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाता है । xx

7- उक्त दोनो प्रार्थना पत्र के निर्णय उपरान्त हमने प्रकरण में मूल अपील में एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

8- अपीलान्ट् के विद्वान अभिभाषक ने बहस आरम्भ करते हुए अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपना हिस्सा कभी भी किसी व्यक्ति को बेचान नही किया गया तथा कभी भी विक्रय पत्र तहरीर पंजीयन नही जाने से तथाकथित नामान्तरकरण संख्या 330 ग्राम साड़ागांव तहसील जिला टोंक खसरा संख्या 49 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा में से अपीलांट के 1/3 हिस्से की हद तक प्रारम्भतः तक शून्य होने के कारण नामान्तरकरण अपीलांट के 1/3 हिस्से की हद तक निरस्त करते हुए अपीलान्ट के नाम जमाबन्दी में 1/3 हिस्से की खातेदारी का अंकन करने का निवेदन किया। xx

9- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों का अवलोकन किया एवं अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया गया हमने पाया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.08.2002 को पुस्तक संख्या 1 संख्या 280 क्रम सं01502 में 195 पजीकृत जिल्द संख्या 602 के माध्यम से सम्पूर्ण आराजी का 2/3 हिस्सा विक्रय किया गया तथा शेष रामा पिसरान रामनाथ का हिस्सा छोडते हुए ही आराजी भूमि का विक्रय किया गया किन्तु नामान्तकरण संख्या 330 दिनांक 27.12.2002 के द्वारा विक्रेतागणों में खातेदार रामावतार,कन्हैयालाल पिसरान जगदीश नौरती,ममता,संतोक पुत्रियां जगदीश,मु0 कैलाशी बेवा जगदीश का हिस्सा 1/3 व रामा,गोपी पिसरान रामनाथ 2/3 को विक्रय अंकित करते हुए खसरा संख्या 49 कुल रकबा 2.03 बीघा का सम्पूर्ण भूमि का

नामान्तरकरण कालू व कमलेश पिसरान गोपाल के नाम तस्दीक करने में त्रुटि कारित की गई है । विक्रय पत्र से स्पष्ट है कि उक्त सम्पूर्ण आराजी में रामा पिसरान रामनाथ के हिस्से 1/3 को विक्रय नहीं किया गया है एंव अपील अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है चूंकि नामान्तकरण संख्या 330 में विशिष्टियों सहित काश्तकार के कॉलम संख्या 7 में रामा पिता रामनाथ का नाम एंव जमाबंदी में खोले गये नामान्तरकरण में क्षैत्रफल के स्थान पर सम्पूर्ण आराजी अंकित करने में त्रुटि कारित की गई है। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण के नियम अनुसार तस्दीक किये जाने के पश्चात् भूल सुधार के तहत जमाबंदी में कोई नामान्तरकरण शामिल किये जाने के पहले किसी भी समय उस पर दी गई आज्ञा में गलती से लिखावट या गणना में असावधानी से हुई गलती उसे आज्ञा से पुनर्विलोकन की इजाजत पाये बिना,सुधारी जा सकती है । साथ ही ऐसी असावधानियों का सुधार ऐसे नामान्तरणों जिनमें असावधानियां हुई है ,को तस्दीक करने वाले राजस्व अधिकारी द्वारा अथवा उसके पश्चात् में आने वाले पदाधिकारियों द्वारा अथवा किसी उच्च पदाधिकारी द्वारा किया जा सकता है ऐसे सुधार करने में में मूल आज्ञा में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए । चूंकि उक्त मामले में भी मूल आज्ञा में परिवर्तन नहीं किया जाना है अतः अपीलांट रामा पिता रामनाथ का हिस्सा प्रभावित ना हो इस हद तक तक आंशिक रूप से नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य होने से विद्धान तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.12.2002 को आंशिक अपास्त करते हुए तहसीलदार टोंक को प्रकरण की जांच कर व उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाकर संशोधित नामान्तरकरण दर्ज करने के निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाना उचित समझते हैं ताकि जिससे अपीलार्थी व रेस्पोडेंन्ट दोनों को अपना पक्ष पुनः रखने व सुनवाई का युक्तिसंगत अवसर प्राप्त हो सके । xx

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या एलआर/31/2016 (2016/00054) बउनवानी रामा पुत्र रामनाथ बनाम विनोद पुत्र कालू व अन्य को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार,टोंक जिला टोंक द्वारा पारित नामान्तरकरण 330 दिनांक 27.12.2002 को आंशिक अपास्त किया जाकर तहसीलदार टोंक को प्रकरण की जांच कर व उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए संशोधित नामान्तरकरण दर्ज करने के निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 20.02.2020 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.03.30 11:44:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: